प्रेस को सूचना नोट [प्रेस विज्ञप्ति संख्या 58/2022]

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने 'विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने के संबंध में अनुशंसाएँ' दिनांक 19.08.2021 की अपनी पूर्व अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की

नई दिल्ली, 06 सितंबर 2022: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने "विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने के संबंध में अनुशंसाएँ" दिनांक 19.08.2021 की अपनी पूर्व अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने संदर्भ पत्र दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से 'विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने के संबंध में अनुशंसाएँ' पर भादूविप्रा की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस संदर्भित किया था ।

3. दूरसंचार विभाग के टिप्पणीयों की जांच के बाद भादूविप्रा ने अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराते हुए संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है । प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए विचारों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाल दिया है।

4. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-23210481 और ईमेल: advmn@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

वी. रघुनंदन
सचिव, भादूविप्रा